संख्या: 49 / 2026/1921/ सत्रह-म-2026-17-1002(099)/2/2023

प्रेषक,

अशोक कुमार सरोज,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 12 नवम्बर, 2026

विषय: मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 1000.00 के सापेक्ष अवशेष धनराशि में से द्वितीय किश्त के रूप में रू0 250.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-598/नि0शा0/2026-27 दिनांक 14.10.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-17 लेखाशीर्षक -2405-मछली पालन, 101- अन्तर्देशीय मछली पालन, 05-मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना, 20- सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत जनपदों में मनरेगा कन्वर्जेन्स / पट्टाधारक द्वारा स्वयं अथवा अन्य विभागों के माध्यम से सुधारे गये ग्राम सभा के पट्टे के तालाबों में प्रथम वर्ष निवेश पर तथा मत्स्य बीज बैंक की स्थापना की योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट धनराशि रू0 1000.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 750.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- अतः इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत प्रदेश के जनपदों में मनरेगा कन्वर्जेन्स / पटटाधारक द्वारा स्वयं अथवा अन्य विभागों के माध्यम से सुधारे गये ग्राम सभा के पटटे के तालाबों में प्रथम वर्ष निवेश पर तथा मत्स्य बीज बैंक की स्थापना के लिए अनुदान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-17 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक -2405-मछली पालन, 101- अन्तर्देशीय मछली पालन, 05-मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना, 20- सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 250.00 लाख (रूपये दो करोड पचास लाख मात्र) की धनराशि को आहरित कर व्यय किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) स्वीकृति की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय योजना विषयक निर्धारित दिशा निर्देशों/ गाइडलाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(2) स्वीकृति की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों/कार्यों में किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। अन्य किसी मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(3) प्रस्ताव में आंकडो की शुद्धता का दायित्व महानिदेशक मत्स्य/ सम्बंधित अधिकारी

का होगा।

(4) स्वीकृत धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है, जिससे ब्याज अर्जित हो तो उक्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा करायी जायेगी।

(5) प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय नियमानुसार आवंटित परिव्यय सीमा तक ही किया जायेगा।

(7) अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

(8) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी।

(9) जिन मामलों में उ.प्र. बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(10) विभागाध्यक्ष/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।

(11) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- 4/2026 /बी-1-812/दस-2026-231/2025 दिनांक 28 मार्च, 2026 एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

5- इस सम्बंध में होने वाला व्यय धनराशि रू0 250.00 लाख (रूपये दो करोड पचास लाख मात्र)को वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-17 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक -2405-मछली पालन, 101- अन्तर्देशीय मछली पालन, 05- मुख्य मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना, 20- सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-E-1-210-X-2026-27-दिनांक:5-11-2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

Digitally signed by
ASHOK KUMAR SAROJ
Date: 12-11-2026 12:15:32

(अशोक कुमार सरोज)
अनु सचिव।

संख्या- 49 / 2026/1921 (1) / सत्रह-म-2026 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन उ0प्र0 लखनऊ।
4. उप निदेशक मत्स्य(नियोजन) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6. सम्बधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1 /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 /नियोजन अनुभाग-3।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार सरोज)
अनु सचिव।